

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
कर्मोंक —प.1(4)न्याय/2010 जयपुर, दिनांक 27.6.2019
अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना कर्मोंक प. 1(4) न्याय/2010 दिनांक 03.6.2014 को अंशतः संशोधित करते हुए, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, राजगढ़ जिला चुरू की अतिरिक्त बैठक का स्थान तारानगर की शिविर अवधि प्रत्येक माह में तीन दिवस के स्थान पर प्रत्येक माह के एकांतर सप्ताह में तीन दिवस नियत करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

सही /—

(महावीर प्रसाद शर्मा)

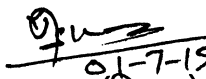
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कर्मोंक — सामान्य/II/2/88/733 दिनांक —01.7.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/पीठ जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चुरू।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजगढ़/ शिविर तारानगर।
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चुरू।
5. प्र.अ.न्या. गोपनीय/रा.न्या.सो.(स्था.)/अधी.न्या.(स्था.)/सांख्यिकी/बजट/ भवन शाखा राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं प्र.अ.न्या. कम्प्यूटर शाखा को इस निर्देश के साथ की उक्त सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।


01-7-19
रजिस्ट्रार (नियम)